

प्रधान,

श्री ज्योति गोस्वामी,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
बिहार के 2 संसदाय केन्द्र,
जोति बाजार नई दिल्ली ।

दिनांक 17 अगस्त

संख्या: दिनांक: 6 अगस्त, 1995


विषय:-

वर्धमान अकादमी केन बोर्डिंग हाउस मेरठ को सीपसी/एनसीई आरटी नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।


सहायक,

उपरोक्त विषय पर मुझे एक क्लॉक का निदेश हुआ है कि वर्धमान अकादमी केन बोर्डिंग हाउस मेरठ को सीपसी/एनसीई आरटी नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तिकाओं के अधीन कार्यवाही करनी है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सौदागरी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की पुस्तक कमिटी में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसन्धानात्मक/अनुसंधान सम्बन्धित के कक्षा के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यालयों में सम्बन्धित कार्य के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संयोजक द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैकल्पिक और यदि पूर्व में सम्बन्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीसिल कार्ड से सम्बन्धित शुरुआती/मिडिल इन्फार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस शीला पत्रिका से सम्बन्धता प्राप्त होने की दिशा में परिषद से सम्बन्धता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 5- संवैधानिक एवं विधायक कक्षाओं की राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संसाधनों के कक्षाओं की अनुसंधान पैदावारों तथा अन्य मदद से कम पैदावार तथा अन्य मदद नहीं लिये जायेंगे ।
- 6- कक्षाओं की सेवा जहाँ करायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त करवायी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षाओं की अनुसंधान सेवा निवृत्त या अन्य उपाय कराये जायेंगे ।


PRINCIPAL
VARDHMAN ACADEMY
(SR. SECONDARY SCHOOL)
MEERUT

SECRETARY
VARDHMAN ACADEMY
MEERUT


Principal
Vardhman Academy
Railway Road, Meerut

- 7- राज्य सरकार द्वारा तम्र सम्म पर जो भी आदेश निर्गत किये जायें, तैसा अन्त आत्मन करेंगी ।
- 8- विद्यार्थी का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृतों में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था के संस्थापक होने के पूर्व एक सुनिश्चित किया जाय कि विद्यार्थी में कार्यरत तम्रत अध्यापक प्रशिक्षित है, उन्हीं मानकानुसंग वेतन दिया जा रहा है । अतिरिक्त योजना तम्रत कर्मचारियों के लिए लागू है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तम्रत यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा आत्मन करने में किसी प्रकार की धुंध या आशंका बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आयायित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।


 SECRETARY
 VARDHMAN ACADEMY
 MEERUT

भारतीय
 शासिक माध्यामिक
 उच्च शिक्षण

सूचक संख्या 12/15-7-1995 तदनुसार

प्रतिबन्ध निम्नलिखित ही सूचनार्थ तम्रत अध्यापक कर्मचारियों के लिये

दिए जायें :-

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- भारतीय उच्च शिक्षा विभाग, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विभाग, निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, उच्च माध्यामिक विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- निरीक्षक, अध्यापक श्रेणियों, उच्च माध्यामिक विद्यालय, मेरठ ।


 PRINCIPAL
 VARDHMAN ACADEMY
 (SR. SECONDARY SCHOOL)
 MEERUT


 Principal
 Vardhman Academy
 Bellway Road, Meerut

भारतीय
 शासिक माध्यामिक
 उच्च शिक्षण